

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जनपद बनसोली की दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण-

क्र.सं.	विभिन्न निधियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि			वास्तविक धनराशि	मानकों के अनुसार धनराशि	अवशेष	अभिव्युक्ति
	मद	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	कुल धनराशि (लाख में)				
1	पुनर्निर्माण	(1) 355/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 13.06.2013	200.00	200.00	200.00	.	.
		(2) 570/XVIII-(2)/DF13-12(4)/2013TC दिनांक 16-07-2013	150.00	150.00	150.00	.	.
		(3) 1368/XVIII-(2)/F/13-04(27)/2013 दिनांक 03-12-2013	1300.00	1300.00	1299.21	0.794	अवशेष धनराशि कोषागार में समाविष्टित हो चुकी है।
		(4) 14/XVIII-(2)/F/14-12(02)/2014 दिनांक 07-01-2014	196.00	196.00	195.55	0.45	"तदेव"
		(5) 36/XVIII-(2)/F/14-04(27)/2013 TC दिनांक 04-02-2014	123.29	123.29	0.00	0	कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।
		(6) 13/XVIII-(2)/F/14-12(01)/2014 दिनांक 05-02-2014	63.03	63.03	0.00	0	"तदेव"
		(7) 336/XVIII-(2)/F/14-12(01)/2014 दिनांक 04-03-2014	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	
	(7) 364/XVIII-(2)/F/14-12(4)/2014 दिनांक 29-03-2014	250.00	250.00	0.00	0.00	कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।	
	योग		3282.320	3282.32	1844.76	0.00	
	अहेतुक सहायता	(1) 355/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 13.06.2013	75.00	75.00	75.00	.	.
		(2) 444/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013 दिनांक 18.06.2013	100.00	100.00	100.00	.	.
		(3) 452/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013 दिनांक 20.06.2013	500.00	500.00	500.00	.	.
		(4) 497/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 03.07.2013	500.00	500.00	500.00	.	.
	योग		1175.00	1175.00	1175.00		
	पेवजल	355/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 13.06.2013	25.00	25.00	9.985	15.015	अवशेष धनराशि कोषागार में समाविष्टित हो चुकी है।
योग		25.00	25.00	9.985	15.015		
महायोग-		4482.320	4482.320	3029.741	15.015		
मा0 मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष							
शासनादेश संख्या एवं दिनांक		धनराशि (लाख में)					
संख्या-114 / XXXI-14/2013 दिनांक 03 जुलाई, 2013		25.00	25.00	25.00			
संख्या-116 / XXXI-14/2013 दिनांक 06 जुलाई, 2013		900.00	900.00	900.00			
संख्या-126 / XXXI-14/2013 दिनांक 10 जुलाई, 2013		52.6628	52.6628	52.6628			
संख्या-161 / XXXI-14/2013 दिनांक 29 जुलाई, 2013		100.00	100.00	100.00			
संख्या-346 / XXXI-14/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013		400.00	400.00	400.00			
संख्या-319 / XXXI-14/2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2013		25.00	25.00	25.00			
संख्या-469 / XXXI-14/2013 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013		750.00	750.00	750.00			
संख्या-839 / XXXI-14/2013 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013		5.00	5.00	5.00			
संख्या-942 / XXXI-14/2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013		30.95	30.95	30.95			
संख्या-973 / XXXI-14/2013 दिनांक 03 जनवरी, 2014		84.57	84.57	64.722	19.84800	मुरातन की कार्यवाही मतिमान है	
संख्या-1119 / XXXI-14/2013 दिनांक 13 फरवरी, 2014		0.0318	0.0318	0.0318	0		
संख्या-1239 / XXXI-14(02)/19/2013 दिनांक 28 फरवरी, 2014		134.00	134.00	132.093	1.90700	मुरातन की कार्यवाही मतिमान है	
संख्या-1315 / XXXI-14(02)/05/2013 दिनांक 11.03.2014		500.00	500.00	0.00	0.00		
कुल योग-		3007.21460	3007.2146	2485.4596	21.7550		
3	राज्य सरकार के बजट के देय सहायता						
	शासनादेश संख्या एवं दिनांक		धनराशि (लाख में)				
	(1) 355/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 13.06.2013			300	284.9850	15.015	शासन से प्राप्त 300.00 लाख रुपये 15.015 लाख धनराशि का कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित हो चुकी है।
	(2) 444/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013 दिनांक 18.06.2013			100	100		
	(3) 452/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013 दिनांक 20.06.2013			500	500		
	(4) 497/XVIII-(2)/13-12(4)/2013 दिनांक 03.07.2013			500	500		
	(5) 570/XVIII-(2)/DF13-12(4)/2013TC दिनांक 16-07-2013		150		150		कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि रु० 150.00 लाख स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।
	(6) 1368/XVIII-(2)/F/13-04(27)/2013 दिनांक 03-12-2013		1300	601.430	698.570		शासन से आवंटित रु० 1300.00 लाख रुपये रु० 698.570 लाख का कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित हो चुकी है।
	(7) 14/XVIII-(2)/F/14-12(02)/2014 दिनांक 07-01-2014		196	195.55	0.45		अवशेष धनराशि का कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित हो चुका है।
	(5) 36/XVIII-(2)/F/14-04(27)/2013 TC दिनांक 04-02-2014		123.29		123.29		कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।
(9) 13/XVIII-(2)/F/14-12(01)/2014 दिनांक 05-02-2014		63.03		63.03		कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।	
(7) 336/XVIII-(10)/F/14-12(01)/2014 दिनांक 04-03-2014		1000.00	500.00	500.00		अवशेष धनराशि अनुभूत करने की कार्यवाही मतिमान है।	
(8) 364/XVIII-(2)/F/14-12(4)/2014 दिनांक 29-03-2014		250.00		250.00		कोषागार नियम 24 से अधिम आहर्त की गयी धनराशि के कारण शासन से आवंटित धनराशि स्वतः ही कोषागार में समाविष्टित होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पायी है।	
योग-							
मा0 प्रधानमंत्री राहत कोष							
शासनादेश संख्या एवं दिनांक		धनराशि (लाख में)					
योग-							